Speed post

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. BKS/2/2017/MCOM1/SEOTH/RU-IV

Dated: 11.04.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
State Trading Corporation of India Ltd.,
Jawahar Vyapar Bhawan,
New Delhi – 110 001.

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 06.03.2018 at 02.00 P.M. in the matter of Shri B.K. Susawat, General Secretary, State Trading Corporation of India Employees Union, Tolstoy Marg, New Delhi regarding harassment on STs Employees by STC Management.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held under the Chairmanship of Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 06.03.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission.

Received
BK Susawat
12/4/18.

2570-71
11/4/18

जारी किया
ISSUED

Yours faithfully,

DS Kumbhare 11/4/2018
(D.S. Kumbhare)
Under Secretary
Ph. No. 24657271

Copy to:-

Shri B.K. Susawat,
General Secretary,
State Trading Corporation of India Employees Union,
1, Tolstoy Marg,
New Delhi – 110 001.

o/c

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(संख्याः बी.के.एस / 2 / 2017 / एम.सी.ओ.एम1 / सी.ई.ओ.टी.एच / आरयू–4)

श्रीमती माया चिंतांमण ईवनाते, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में दिनांक 6.3.2018 समय 2:00 बजे अपराह्न, श्री बी.के. सुसावत के अभ्यावेदन दिनांक 19.9.2017 जिसमें एसटीसी प्रबंधन द्वारा एससी/एसटी एम्पलाइज का उत्पीड़न किए जाने के संबंध में, सम्पन्न बैठक (सिंटिग) का कार्यवृत्त।

बैठक(सिंटिग): दिनांक 6.3.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण अनुलग्नक पर है।

2. श्री बी.के. सुसावत, जनरल सेक्रेटरी, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, ने अभ्यावेदन दिनांक 19.9.2017 मेंस्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) प्रबंधन द्वारा एससी/एसटी एम्पलाइज का उत्पीड़न का मामला उठाया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से न्याय की मांग की। आयोग ने निर्धारित प्रकिया के अनुसार अभ्यावेदन को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अग्रसारित करते हुए तथ्य तथा मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही भेजने को कहा।

3. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पत्र संख्या एस.टी.सी/सी.ओ/पी.ई.आर/आई. आर/02160(2)/2017/119/2017, नवम्बर, 2017 द्वारा मामले में तथ्यों सहित जानकारी उपलब्ध कराई। आयोग ने निर्धारित प्रकिया के अनुसार, एसटीसी के इस पत्र कोश्री बी.के. सुसावत, जनरल सेक्रेटरी, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, को सूचनार्थ भेजा कि इस मामले में यदि आप संतुष्ट नही है तो एक मास के अंदर उत्तर दे अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं और मामला बंद कर दिया जाएगा।

4. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पत्र संख्या एस.टी.सी/सी.ओ/पी.ई.आर/आई. आर/02160(2)/2017/119/2017, नवम्बर, 2017 पत्र के प्रत्युत्तर में श्री बी.के. सुसावत, जनरल सेक्रेटरी, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली ने मामले में अभ्यावेदन दिनांक 4.12.2017 तथा 22.12.2017 द्वारा असंतोष प्रकट किया तथा एसटीसी प्रबंधन द्वारा उनके विरूद्ध जारी जांच प्रकिया को तुरंत रोकने तथा तर्कहीन एवं झूठे आधार पर दिया गया आरोप पत्र वापस लेने हेतु न्याय की मांग की। आयोग ने पत्र संख्याबी.के.एस/2/2017/एम.सी.ओ.एम1/सी.ई.ओ.टी. एच/आरयू–4 दिनांक 9.1.2018 द्वारा उपरोक्त प्रत्युत्तरों को स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अग्रसारित करते हुए सात दिन के अंदर प्रकरण पर टिप्पणी के साथ जवाब देने का अनुरोध किया।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

5. स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पत्र संख्या एस.टी.सी/सी.ओ/पी.ई.आर/आई.आर/02160(2)/2017/8/2018 दिनांक 17.1.2018 द्वारा बिंदुवार सूचना आयोग को उपलब्ध कराई। श्री बी.के. सुसावत, जनरल सेक्रेटरी, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, ने अभ्यावेदन दिनांक 22.1.2018 द्वारा पुनः न्याय की मांग की।

6. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य ने प्रकरण पर स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों तथा अभ्यावेदक के साथ सिंटिग आयोजित करने का आदेश दिया। तदनुसार, माननीय सदस्य श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते एवं श्री एच.के. डामोर, की अध्यक्षता में दिनांक 6.3.2018 में सिंटिग आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा एसटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं श्री बी.के. सुसावत, जनरल सेक्रेटरी, दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्पलाइज यूनियन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली उपस्थित हुए।

7. आयोग ने श्री बी.के. सुसावत से मामले में प्रकाश डालने को कहा। श्री बी.के. सुसावत ने आयोग को अवगत कराया कि एसटीसी प्रबंधन द्वारा दिनांक 24.7.2017 को मेजर पैनलटी चार्जशीट **(Major Penalty Charge Sheet)** देने के आदेश दे दिए गए जो ऑर्जीनल कागजात देखे बगैर दिए गए है। जिसका अंतिम जवाब 30.10.2017 को दे दिया और चार्जशीट निरस्त करने की मांग की थी। परंतु, मैनेजमेंट के दबाव के कारण प्रार्थना को नहीं माना गया है। श्री बी.के सुसावत ने कहा कि उनके यूनियन के महासचिव पद पर रहते हुए किसी भी युनियन के महासचिव ने बायोमॉट्रिक/ हाजरी रजिस्टर पर उपस्थिती नही लगाई क्योंकि यूनियन महासचिव को प्रबंधक के निदेशक को जैसे सुविधाए मिली वैसी सारी सुविधाए प्रदान की गई थी/ उसमें से एक उपस्थिती न लगाने की भी थी। अतः चार्जशीट को निरस्त किया जाए और न्याय दिलाया जाए।

8. आयोग ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसटीसी लिमिटेड से मामले में तथ्यों को बताने का आग्रह किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने साथ आए हुए अधिकारियों से मामले में तथ्यों को बताने को कहा। एसटीसी के अधिकारियों ने आयोग को बताया की संस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अतः एसटीसी कर्मचारी यूनियन को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं मे कटौती की गई है।श्री बी.के. सुसावत, के विरूद्ध चार्जशीट मामले में बताया कि श्री बी.के. सुसावत द्वारा बॉयोमैट्रिक उपस्थित न लगाने के कारण की गई है। श्री बी.के. सुसावत ने उपस्थिति न लगाने के विषय में एसटीसी का पत्र दिनांक 24.6.2010 जो (एस. मुखर्जी) मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया आयोग तथा एसटीसी अधिकारियों को दिखाया। एसटीसी अधिकारियों ने आयोग को बताया वे इस पत्र से अनभिज्ञ है तथा इसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि अब कॉमर्स मंत्रालय के निर्देशानुसार एसटीसीके सभी कर्मचारियों को

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य/Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बॉयोमैट्रिकउपस्थित लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि अब यह उनके वेतन से जोड़ दिया गया है। एसटीसी के अधिकारियों के सवाल के उत्तर में श्री बी.के. सुसावत, ने आयोग को अश्वस्त किया कि वह बॉयोमैट्रिक उपस्थित लगा रहे हैं, तथा लगाते रहेंगे।

9. आयोग ने विस्तृत चर्चा के बाद निम्न संस्तुतियां कीः–

1. एसटीसी प्रबंधन ,श्री बी.के. सुसावत, के विरूद्ध चार्जशीट वापस लेने हेतु सम्बन्धित जांच अधिकारी / विभाग को तुंरत सूचित करे, तथा
2. श्री बी.के. सुसावत एसटीसी प्रबंधन को आश्वस्त करे कि वह बॉयोमैट्रिक उपस्थित लगाते है और भविष्य में लगाते रहेंगे।

श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अनुलग्नक

National Commission for Scheduled Tribes.

Sitting held on 6.3.2018 at 2:00 P.M. in NCST the matter of Shri B.K. Susawat, General Secretary, State Trading Corporation of India Employees Union, Tolstoy Marg, New Delhi regarding harassment on STs Employees by STC management.

(File No. BKS/2/2017/MCOM1/SEOTH/RU-IV

National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Shri H.K. Damor, Hon'ble Member	In Chair
2.	Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member	In Chair
3.	Shri D.S. Kumbhare, Under Secretary	
4.	Shri R.S. Misra, Sr. Investigator	
5.	Shri S. Atram, PS to Hon'ble Member (MCI)	

State Trading Corporation of India Ltd.		
1.	Shri Rajiv Chopra, (Director Marketing) Additional Charge of CMD	
2.	Shri S.K. Sharma, Director (P)	
3.	Shri T. Kerketta, G.M (P)	
4.	Shri B. Nagaraju, A.M	

Petitioner		
1.	Shri B.K.Susawat	